



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 7, 2019/कार्तिक 16, 1941

No. 393]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 7, 2019/KARTIKA 16, 1941

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का 25) द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय]

अधिसूचना

बिलासपुर, 04 नवम्बर, 2019

**क्र. सं. 307/अकादमी/2019:**—सभी संबंधितों को सूचना के लिये अधिसूचित किया जाता है कि भारत के माननीय राष्ट्रपति ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का पच्चीसवाँ) की धारा 27(3) के तहत गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होने के नाते प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालय के परिनियम 10(5), जो कि सभा के गठन से संबंधित हैं, में संशोधन हेतु अपनी सहमति प्रदान की है, जिसके बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग ने अपने पत्र संख्या एफ. 49-7/2016-सीयू-I(पार्ट) दिनांक 03.10.2019, द्वारा सूचित किया है।

परिनियम 10(5) में संशोधन

वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
(5) सभा के अधिवेशन के लिये गणपूर्ति सभा के ग्यारह सदस्यों से होगी।	(5) (1) अधिवेशन के लिये गणपूर्ति सभा के कुल सदस्यों में से एक तिहाई सदस्यों से होगी। (5) (2) सभा में निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा;
	<b>पदेन सदस्य</b>
	(1) कुलाधिपति
	(2) कुलपति
	(3) प्रति-कुलपति
	(4) विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष
	(5) छात्र कल्याण का अधिष्ठाता
	(6) वित्ताधिकारी

	(7) परीक्षा नियंत्रक
	(8) कुलानुशासक
	(9) ग्रंथपाल
	(10) कुलसचिव –सदस्य सचिव
	<b>विद्यापीठों और विभागों के प्रतिनिधि</b>
	(11) चार आचार्य, जो विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष न हों, को कुलपति द्वारा वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम में नामनिर्दिष्ट किया जायेगा
	(12) विभागों के तीन विभागाध्यक्ष, जो संकायाध्यक्ष या आचार्य नहीं हैं, को कुलपति द्वारा वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम में नामनिर्दिष्ट किया जायेगा
	(13) दो सह आचार्य, जो संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष नहीं हैं, और दो सहायक आचार्य, को कुलपति द्वारा वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम में नामनिर्दिष्ट किया जायेगा
	<b>विद्वत् व्यक्तित्व के प्रतिनिधि</b>
	(14) कुलपतियों या प्रख्यात व्यक्तित्वों में से छह प्रतिनिधि, कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा
	<b>विद्वत् वृत्तियों एवं विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति</b>
	(15) विद्वत् वृत्तियों एवं विशेष हितों, उद्योग, वाणिज्य, बैंकिंग तथा कृषि को समाहित करते हुये, का प्रतिनिधित्व करने वाले छः सदस्य कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेगे
	<b>अन्य सदस्य</b>
	(16) कुलाध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्टों को छोड़कर कार्य परिषद् के ऐसे सदस्य, जो उपरोक्त किसी भी श्रेणी के अंतर्गत सभा के सदस्य नहीं हैं
	(17) शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों, के चार प्रतिनिधि, जिसमें से एक शैक्षणिक कर्मचारी एवं गैरशैक्षणिक कर्मचारियों समूह अ, ब तथा स वर्ग, में से प्रत्येक वर्ग से एक प्रतिनिधि जो अपने में से निर्वाचित किये गये हों
	(18) छात्र परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में उनके अध्यक्ष एवं सचिव, एक वर्ष की अवधि के लिये
	(19) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन पूर्व छात्र
	(5) (3) सभा के सभी सदस्य, पदेन सदस्यों और छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के अलावा, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे

प्रो. शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव

[विज्ञापन-III / 4 / असा. / 280 / 19]

### GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR

[A Central University established by the Central Universities Act, 2009 (No. 25 of 2009)]

#### NOTIFICATION

Bilaspur, the 4th November, 2019

**S. No. 307/Academic/2019.**—This is to notify for the information of all concerned that Hon'ble President of India in his capacity as the Visitor of the Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, in exercise of powers conferred upon him by the provisions given in Section 27(3) of the Central Universities Act, 2009 [No. 25 of 2009], has been pleased to approve the proposed amendments in the Statute 10(5) of the Act relating to the

constitution of the Court of the Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, as conveyed by the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development vide letter F.49-7/2016-CU.I (Part) dated 03.10.2019.

**Amendments in Statute 10(5)**

Existing Provision	Amended Provisions
(5) Eleven members of the Court shall form a quorum for a meeting of the Court.	(5) (i) One third of the total members of the Court shall form a quorum for the meeting. (5) (ii) The Court shall consist of the following members, namely
	<b>Ex-officio Members</b>
	(1) Chancellor
	(2) Vice-Chancellor
	(3) Pro-Vice-Chancellor
	(4) Deans of Schools;
	(5) Dean of Students' Welfare
	(6) Finance Officer
	(7) Controller of Examinations
	(8) Proctor
	(9) Librarian
	(10) Registrar - Member Secretary
	<b>Representatives of Schools and Departments</b>
	(11) Four Professors, who are not Deans of Schools, to be nominated by the Vice-Chancellor by rotation according to their seniority
	(12) Three Heads of the Departments, who are not Deans or Professors, to be nominated by the Vice-Chancellor by rotation according to their seniority
(13) Two Associate Professors, who are not Deans/ Heads of the Departments, and two Assistant Professors, to be nominated by the Vice-Chancellor by rotation according to their seniority	
<b>Representatives of learned personalities</b>	
(14) Six representatives from Vice Chancellors or Eminent personalities to be nominated by the Vice Chancellor	
<b>Persons representing learned professions and special interests</b>	
(15) Six members representing learned professions and special interests including representatives of industry, commerce, banking and agriculture to be nominated by the Visitor	

<b>Other Members</b>	
	(16) Such members of the Executive Council, except Visitor's nominees, who are not members of the Court, under any of the above category
	(17) Four representatives of Teaching and Non-Teaching staff, one from teaching staff and one each from Group A, B & C, of Non-Teaching staff to be elected from amongst themselves
	(18) President and Secretary as elected members of Student's Council, for a period of one year
	(19) Three alumni to be nominated by the Vice-Chancellor
5 (iii)	All members of the Court, other than Ex-Officio members and members representing students, shall hold office for a term of three years

Prof. SHAIENDRA KUMAR, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./280/19]